

पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए संशोधित पात्रता मानदंड  
आवास वित्त कंपनियां

बैंक ने आ.वि.कं. के लिए अपनी न्यूनतम पात्रता शर्तों को संशोधित किया है। संशोधित शर्तें निम्नानुसार हैं:

क) नकदी तथा बैंक में जमा राशि को छोड़कर कुल मूर्त आस्तियों का कम से कम 51% वैयक्तिक आवास ऋणों हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए

- ⇒ वैयक्तिक आवास ऋण वो ऋण होंगे जिनकी संस्वीकृत अवधि 5 वर्ष या उससे ज्यादा होगी
- ⇒ कुल मूर्त आस्तियां, अमूर्त आस्तियों को घटाकर कुल आस्तियां होंगी
- ⇒ नकदी तथा बैंक में जमा राशि में चल लघु अवधि म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश भी शामिल होगा, जो कि निवल स्वाधिकृत निधि के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

ख) निवल अग्रिमों का निवल एनपीए अनुपात 3.5 % से ज्यादा नहीं होना चाहिए

मौजूदा तथा नए ग्राहकों के लिए अन्य पात्रता शर्तें पूर्ववत ही बनी रहेंगी।

**Revised Eligibility Criteria for Availing Refinance  
Scheduled Commercial Banks**

Bank has revised its minimum eligible conditions for SCBs. The revised conditions are as below:

- a) The Net NPA to Net Advances ratio should not exceed 3.50%**
- b) Bank should be making operating profit in last 1 year**

The other eligibility conditions shall remain same for existing as well as new clients